



2026:AHC:49953

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट -सी संख्या -9162 वर्ष 2026

त्रिलोकी

..... याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 5 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : आयुष कुमार, सुनील कुमार सिंह

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

कोर्ट नंबर - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया,

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना।
2. इस रिट याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा केवल एक ही प्रार्थना की गई है, वह यह कि प्रतिवादी संख्या 3, यानी उप-विभागीय मजिस्ट्रेट, तहसील सदर, जिला जौनपुर को यह निर्देश दिया जाए कि वे यू.पी. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 144 के तहत केस संख्या आर एस टी/11771 वर्ष 2025 और कम्प्यूटरीकृत संख्या टी202514360411771 (राजनाथ और अन्य बनाम त्रिलोकी) का निर्णय निर्धारित समय-सीमा के भीतर करें।
3. पक्षों के अधिवक्ताओं को सुना।
4. प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए तथा विवाद के गुण-दोष पर कोई मत व्यक्त किए बिना, वर्तमान रिट याचिका का **अंतिम रूप से निस्तारण** इस निर्देश के साथ किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या-3, अर्थात् उप-जिलाधिकारी, तहसील सदर, जनपद जौनपुर, उक्त प्रकरण का विधि के अनुसार **यथाशीघ्र** निर्णय करें तथा अनावश्यक स्थगन (तारीख) न प्रदान करें, जब तक कि कोई विधिक बाधा न हो।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया,)

11 मार्च, 2026

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



स्वाति

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।